## इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

145518 - उसे पता चला कि उसकी पत्नी की शादी उससे पहले ही हो चुकी थी तथा संभोग से पहले, लेकिन एकांत में होने के बाद उसका तलाक़ हो गया था

#### प्रश्न

शादी के बाद पता चला कि मेरी पत्नी की शादी मुझसे पहले हो चुकी थी और उसका तलाक़ हो गया था, लेकिन उसके पूर्व पित ने उसके साथ संभोग नहीं किया था, लेकिन वह उसके साथ एक से अधिक बार एकांत में रहा था। अब मेरी शादी के तीन हफ्ते बाद, समस्याएँ खड़ी हो गईं, और इस समस्या का अंत उनके तलाक़ माँगने पर हुआ। क्या वे लोग मुझे वह सब कुछ वापस कर देंगे जो मैंने उन्हें दिया है?

### विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।.

#### सर्व प्रथम :

अगर किसी महिला को अपने पित के साथ एकांत में होने के बाद और संभोग से पहले तलाक़ दे दिया गया, तो वह अभी भी कुँवारी है और उसकी उसी तरह शादी की जाएगी जैसे कुँवारियों की शादी की जाती हे। फ़ुक़हा के एक समूह ने इसे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।

"दुरर अल-अहकाम" (1/336) में उल्लेख किया गया है : "जिस महिला को उसके साथ (वास्तविक रूप से) एकांत में रहने के बाद तलाक़ दे दिया गया और उसने अपना कौमार्य नहीं खोया है, या उसके साथ संभोग करने से पहले उसे तलाक़ दे दिया गया, तो उसकी अन्य कुँवारियों की तरह शादी की जाएगी, भले ही उसके लिए 'इद्दत' (प्रतीक्षा अविध) अनिवार्य है ; क्योंकि वह वास्तविक रूप से एक कुँवारी है और उसमें 'हया' (शर्म) मौजूद है।" उद्धरण समाप्त हुआ।

तथा "अल-फ़तावा अल-हिन्दिय्यह" (1/306) में आया है : "हमारे साथियों [हनफ़ी मत] ने कुछ हुक्मों के मामले में पित क साथ सही रूप से एकांत में होने को संभोग के स्थान पर रखा है और कुछ में नहीं ... पित के साथ अकेले में होने को कौमार्य के टूटने के संबंध में संभोग के स्थान पर नहीं रखा जाएगा। यहाँ तक कि यदि वह किसी कुँवारी के साथ एकांत में रहे, फिर

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

### जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

उसे तलाक़ दे दे, तो कुँवारी की तरह उसकी शादी की जाएगी।" उद्धरण समाप्त हुआ।

इसी तरह की बात अस-सावी की "बुलग़तुस-सालिक" (4/354) और "अल-इंसाफ" (8/284) में कही गई है।

यदि आप लोगों के बीच विवाद का कारण यह है कि आपको लगता है कि उन्होंने आपको इस शादी में धोखा दिया है, तो ऐसे में मामले की सुनवाई के लिए शरई अदालत का सहारा लेना चाहिए।

#### दूसरा:

अगर पत्नी तलाक़ माँगती है, जबिक पित की ओर से कोई ऐसी कोताही नहीं हुई है जो तलाक माँगने का एक कारण हो, तो वह उसे तलाक़ देने से मना कर सकता है और वह उसे इस शर्त पर खुला' दे सकता है कि वह (पत्नी) उसे महर लौटा दै।

तथा प्रश्न संख्या (26247) का उत्तर देखें।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।